संख्या-163/2018/2474/26-3-2018

प्रेषक,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई 2018

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक लम्बित देयता के निस्तारण हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुये उक्त वर्षों की लम्बित देयता के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक-07.06.2018 द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक लम्बित देयता के निस्तारण हेतु रू0-37800.00 लाख (रू0-तीन अरब अठहत्तर करोड़ मात्र) का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0-110000.00 लाख (रू0-ग्यारह अरब मात्र) के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश रू0-37800.00 लाख (रू0-तीन अरब अठहत्तर करोड़ मात्र) की सीमा तक व्यय किये जाने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1001/स0क0/शिक्षा-अ/2/ 103/2018-19, दिनांक 19.06.2018 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त रू0-37800.00 लाख (रू0-तीन अरब अठहत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। उक्त वित्तीय स्वीकृति से भारत सरकार के निर्देश के क्रम में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक नियमावली में अंकित शर्तों/प्राविधानों के अधीन अनुसूचित जाति के पात्र छात्रो की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के निस्तारण हेतु व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक प्रकरण पर शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी। मा0 न्यायालय, मा0 आयोग, मा0 लोकायुक्त आदि प्रकरणों पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ.संख्या-163/2018/2074 (1)/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गाडफाइल।

आज्ञा से

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।